Result Mitra Daily Current Affairs

महिलाओं को पीरियड लीव मिलनी चाहिए या नहीं...?

चर्चा में क्यों :–

- सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी जिसका उद्देश्य महिलाओं को पीरियड लीव देने से संबंधित था
- इसी याचिका के संदर्भ में SC ने केंद्र को दिए ये अहम निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनबाई के द्वारान महिलाओं को पीरियड लीव देने पर केंद्र व राज्यों को परामर्श कर एक नीति बनाने का आदेश दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि :– यह नीति से जुड़ा मुद्दा है और इस पर न्यायालय को विचार नहीं करना चाहिए।
- न्यायालय ने विचार करने से क्यों मना किया :– महिलाओं को प्रदान की गई इस प्रकार की छुट्टी देने के बारे में निर्णय प्रतिकूल और 'हानिकारक' सिद्ध हो सकता है। क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से बच सकते हैं।
- इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह इस m बात पर विचार करें की क्या महिलाओं को पीरियड लीव मिलना चाहिए या नहीं।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों के साथ तथा इस मुद्दे से संबंधित अन्य हितधारकों से चर्चा करें और महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव पर एक आदर्श नीति तैयार करे।
- यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिया।

पीरियड लीव मिलने से क्या कामकाज पर पड़ेगा असर ?

- अदालत द्वारा याचिकाकर्ता से सवाल किया गया कि अगर पीरियड लीव दिया गया तो इससे महिलाओं को कार्यबल का हिस्सा बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है ?
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा :– अगर इस तरह की छुट्टी अनिवार्य की गई तो महिलाएं कार्यबल से दूर हो जाएंगी।
- पीठ ने कहा, "...हम ऐसा नहीं चाहते हैं। यह वास्तव में सरकार की नीति का पहलू है और अदालतों को इस पर गौर नहीं करना चाहिए।'

क्या पीरियड लीव पर केंद्र सरकार लेगा कोई निर्णय ?

- पहले भी इस प्रकार का मुद्दा शीर्ष अदालत के सामने आ चुका है जिसने उसने देशभर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दर्द से मुक्ति की मांग वाली याचिका को सुना था।
- इस याचिका पर कोर्ट ने अपना मत दिया था कि चूंकि यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है, इसलिए केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखा जा सकता है।
- इस मामले से संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव

- मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान दिया गया अवकाश होता है।
- यह अवकाश महिला को अपने बच्चे के जन्म और उसकी शुरुआती देखभाल के लिए प्रदान किया जाता है।
- मातृत्व अवकाश के लिए कौन पात्र है
- इस अवकाश के लिए सभी गर्भवती महिलाएं पात्र होती हैं।
- साथ ही अगर कोई महिला 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है, तो वह 12 सप्ताह की छुट्टी के लिए पात्र मानी जाती है।

मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017

- मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत
- मातृत्व अवकाश का लाभ उन्हीं महिलाओं को प्राप्त होगा जिन्होंने कर्मचारी के रूप में मौजूदा कंपनी में पिछले एक साल में 80 दिन तक काम किया हो।
- इस अधिनियम के अनुसार गर्भवती महिला मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह तक के लिए पात्र होंगी।
- यह 26 सप्ताह की अवधि प्रसव की अनुमानित तिथि से आठ सप्ताह पहले से प्रारंभ की जा सकती है।

Result Mitra

इस अवकाश की सीमाएं

- 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश पहली दो गर्भावस्थाओं के लिए ही होगा।
- अगर किसी महिला को तीसरा बच्चा होने वाला है तो उस स्थित में यह अवकाश की अवधि सिर्फ 12 सप्ताह की होगी।

मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी है

- अधिनियम 2017 के तहत महिलाएं मातृत्व अवकाश पहले 2 बच्चो की स्थिती में डिलीवरी की अनुमानित तारीख से आठ हफ्ते पहले और डिलीवरी होने के बाद ले सकती हैं।
- जबकि तीसरे बच्चे की स्थिती में डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले और डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक मातृत्व अवकाश ले सकती हैं।

वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (WNBR)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व में 11 नए रिजर्व सामिल किए गए है।
- किसने सामिल किया इन बायोस्फीयर रिजर्व को :– संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO)
- किस कार्यक्रम के अंतर्गत सामिल किए गए :– मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत
- किन देशों के बायोस्फीयर रिजर्ब्स शामिल :– कोलंबिया ,बेल्जियम और नीदरलैंड , इटली व स्लोवेनिया सहित कई देशों के रिजर्ब्स शमिल।
- वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रिजर्व की कुल संख्या अब 759 बायोस्फीयर रिजर्ब्स हो गई है जो 136 देशों के शामिल हैं।
- यह पहला मौका है जब 2 ट्रांस-बाउंड्री बायोस्फीयर रिज़र्व्स को भी इसमें शामिल किया गया है:–
- कैंपेन-ब्रोक (बेल्जियम और नीदरलैंड) तथा जूलियन आल्प्स (इटली व स्लोवेनिया) शामिल है।

Result Mitra

मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम

- 1971 में शुरू किया गया
- इसे अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया जाय।
- उद्देश्यः एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना जिससे लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर किया जा सके ।
- मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम मानव आजीविका में सुधार तथा प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।
- भारत के इस समय कुल 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं
- 12 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे पहले शामिल किया गया था।
- शीत मरुस्थल (कोल्ड डेजर्ट) हिमाचल प्रदेश
- *नंदा देवी उत्तराखंड
- कच्छ गुजरात
- पचमढ़ी और पन्ना मध्य प्रदेश
- अचानकमार- अमरकंटक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
- नीलगिरि कर्नाटक
- अगस्त्यमलाई तमिलनाडु और केरल
- कंचनजंगा सिक्किम
- मानस और डिब्रू शैखोब असम
- देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश
- नोकरेक मेघालय
- सुंदरबन पश्चिम बंगाल
- मिमिलिपाल ओडिशा
- शेषाचलम आंध्र प्रदेश
- मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु
- ग्रेट निकोबाट अंडमान एवं निकोबाट द्वीप समूह

Result Mitra